ओ-19025/10/2005-ओएनजी-डीवी (भाग)
भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

दिनांक : 27 जून, 2007
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

सेवा में,

महानिदेशक,
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय,
नई दिल्ली

विषय: (1) एनईएलपी-III और एनईएलपी-IV (छिछले और गहन समुद्र ब्लॉकों) उत्पादन साझेदारी संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण चरणों के विलय की नीति।

(2) उत्पादन साझेदारी संविदाओं में न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में कुल मीटरेज प्रतिबद्धता के प्रति अपेक्षाकृत अधिक गहन कूपों में वेधित अतिरिक्त मीटरेज के प्रतिस्थापन की नीति।

महोदय,

मुझे, आरजे-ओएन/6 एवं केजी-ओएसएन-2001/3 ब्लॉकों के लिए न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के भाग वाले कूपों में कुल मीटरेज प्रतिबद्धता के प्रति गहन कूपों में वेधित अतिरिक्त मीटरेज के प्रतिस्थापन के संबंध में डीजीएच से प्राप्त दो प्रस्तावों का और कठोर बाज़ार शर्तों के कारण अपतटरिगों की अनुपलब्धता के कारण एनईएलपी-III और एनईएलपी-IV के अंतर्गत अपतट ब्लॉकों में प्रचालनरत ठेकेदारों को अन्वेषण अवकाश प्रदान करने के लिए डीजीएच द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का भी हवाला देने का निर्देश हुआ है।

एकसमान और पारदर्शी मापदंडों के आधार पर इन प्रस्तावों पर विचार करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

(1) एनईएलपी-III और एनईएलपी-IV (छिछले और गहन समुद्र ब्लॉक) उत्पादन साझेदारी संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण चरणों के विलय की नीति - नीति-1/विलय/2007

(2) उत्पादन साझेदारी संविदाओं में न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के भाग के रूप में कुल मीटरेज प्रतिबद्धता के प्रतिअधिक गहन कूपों में वेधित अतिरिक्त मीटरेज के प्रतिस्थापन की नीति - नीति ।।/प्रतिस्थापन/2007

इन दोनों नीतियों की प्रतियां, तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

ये नीतियां, भारत में उत्पादन साझेदारी संविदाओं के अंतर्गत प्रचालन कर रही कंपनियों के बीच परिचालित की जाएं और उन्हें यह सूचित किया जाए कि संबंधित नीतियों में यथा उपबंधित अपतट रिगों की अनुपलब्धता के कारण अन्वेषण चरण के कार्य के कार्यक्रम के प्रतिस्थापन की मांग करते और/या समय के विस्तारण की मांग करते समय इसे ध्यान में रखा जाए।

डीजीएच को भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह वर्तमान नीति के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों और निबंधनों के पूरी तरह अनुसार ठेकेदार के पक्षकारों से प्राप्त किए जाने वाले या वर्तमान में लंबित प्रस्तावों पर निर्णय ले और उन्हें अनुमोदन प्रदान करे। इसके अलावा, डीजीएच, प्राप्त किए गए आवेदनपत्रों की संख्या, संबंधित नीति के अनुसार निर्णय लिए गए/अनुमानित मामलों, लंबित मामलों और इसके कारणों सहित डीजीएच द्वारा अनुमोदित

न किए गए आवेदनपत्रों के संबंध में मंत्रालय को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कोई ऐसा प्रस्ताव, जिसमें नीतिगत दिशानिर्देशों का अपवाद/विपथन शामिल हो, निर्णय हेतु सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपतट रिगों की अनुपलब्धता के कारण अन्वेषण चरण के समय विस्तारण या कार्य के कार्यक्रम के प्रतिस्थापन पर किसी व्यथित ठेकेदार से डीजीएच के निर्णय के विरुद्ध प्राप्त किसी प्रस्ताव में संशोधन करने या उसका अनुमोदन करने का सरकार के पास अभिभावी अधिकार होगा।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दें।

भवदीय,
ह./-
(पी.जी. जॉर्ज)
अवर सचिव, भारत सरकार

नीति I/विलय/2007

एनईएलपी-III और एनईएलपी-IV (छिछले समुद्र और गहन समुद्र ब्लॉकों) उत्पादन संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण चरण के विलय की नीति

भारत सरकार ने एनईएलपी-III के अंतर्गत 23 उत्पादन साझेदारी संविदा और एनईएलपी-IV के अंतर्गत 20 प्रत्यायन साझेदारी संविदा किए हैं, जो वर्तमान में वैध हैं और अधिकांशत: अन्वेषण के चरण-I में हैं। इनमें से क्रमश: 15 और 10 पीएससीज अपतट क्षेत्र में हैं। संविदाओं में आमतौर पर चरण I, II और III वाले तीन अन्वेषण चरणों का उपबंध है, जिनमें छिछले समुद्र ब्लॉकों के लिए 7 वर्ष (3+2+2) और गहन समुद्र ब्लॉकों के लिए 8 वर्ष (4+2+2) दिए गए हैं। पीएससीज में, प्रत्येक चरण-I और II के अंत में संविदा क्षेत्र के 25 प्रतिशत के परित्याग की व्यवस्था के साथ प्रत्येक चरण के अंत में 'वाक आउट' विकल्प का भी उपबंध है।

2. अपतट रिगों की आपूर्ति और उपलब्धता की विश्वव्यापी कठिनाई है। यह जांच की गई है कि विशेष रूप से रिग की कठिन स्थिति, एनईएलपी-III और एनईएलपी-IV ब्लॉकों के मामले में वेधन क्रियाकलापों पर प्रभाव डाल रही है क्योंकि उनका अन्वेषण चरण-I या तो समाप्त हो गया है (आमतौर पर छिछले समुद्र ब्लॉकों के लिए अप्रैल, 2006 में और एनईएलपी-III में गहन समुद्र ब्लॉकों के लिए अप्रैल 2007 में) या एनईएलपी-IV के लिए अगले 10-12 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। एनईएलपी-III अपतट ब्लॉकों के मामले में विस्तारण नीति के अंतर्गत प्रदान किया गया विस्तारण भी शीघ्र ही समाप्त हो रहा है।

3. पीएससीज में, अन्वेषण के प्रत्येक चरण में ठेकेदारों द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम कार्य की प्रतिबद्धताओं का उपबंध किया गया है। पीएससीज में यथाविनिर्दिष्ट समय के अंदर, प्रतिबद्ध कार्य के कार्यक्रम पूरा न किए गए कार्य के लिए सरकार को परिसमापन नुकसानी के भुगतान के रूप में ठेकेदार के लिए कुछ वित्तीय प्रभाव हैं। इसके अलावा, विस्तारण नीति में, पीएससीज में विनिर्दिष्ट समय के पश्चात 18 महीने तक विभिन्न अवधियों का विस्तारण प्रदान करने के लिए, पूरा न किए गए कार्य के कार्यक्रम के लिए सरकार को 10 प्रतिशत-20 प्रतिशत के नकद भुगतान और 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की बैंक गारंटी की भी शर्त रखी गई है।

4. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपतट रिगों की अनुपलब्धता की अप्रत्याशित स्थिति का हल निकालने के लिए डीजीएच ने सरकार को निम्नलिखित प्रस्ताव की सिफारिश की थी:

(i) एनईएलपी-III और एनईएलपी-IV अपतट ब्लॉकों के अन्वेषण चरण-I और चरण-II की अन्वेषण अवधि का एक नये चरण में विलय करने के लिए इसे चरण-I के रूप में कहा जाएगा और चरण-II और चरण-III के एमडब्ल्यूपी का विलय करने के लिए इसे चरण II कहा जाएगा।

(ii) छिछले समुद्र के लिए कुल अन्वेषण अवधि सात वर्ष और गहन समुद्र के लिए आठ वर्ष रहेगी।

5. डीजीएच ने प्राथमिकत:, मेक्सिको की खाड़ी में कंपनियों द्वारा प्रचालित क्षेत्रों (पट्टों) के मामले में एमएमएस, यूएसए द्वारा दी गई राहत के सादृश्य पर अपतट रिगों की

अनुपलब्धता के कारण चरण के विलय की सिफारिश की थी। एमएमएस के आदेश में निम्नलिखित शर्तें उपबंधित की गई हैं:

> "प्रचालन आरंभ करने के लिए प्रथम उपलब्ध रिग हेतु समय की अनुमति देने के लिए प्रचालनों के निलंबनों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पट्टा समाप्त होने से पहले एक वेधन संविदा निष्पादित किया गया हो। प्रचालनों के निलंबनों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
>
> (क) समर्थकारी दस्तावेज़ों के साथ पूरे ब्योरे, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि रिग की खोज समय से की गई थी;
> (ख) यह सत्यापन कि पट्टा समाप्त होनेसे पहले रिग संविदा निष्पादित कर लिया गया है; और
> (ग) स्थान पर पहुंचने और प्रचालन आरंभ करने के लिए रिगों हेतु प्रत्याशित तारीख।"

6. तदनुसार, सरकार ने अब, एनईएलपी-III और IV ब्लॉकों के लिए अन्वेषण चरणों के विलय के संबंध में निम्नलिखित पारदर्शी नीति अपनाने का निर्णय लिया है:

(i) मौजूदा चरण-I और II की अवधि का विलय करने के लिए इसे 'नया चरण-I' के रूप में नाम दिया जाएगा और वर्तमान चरण-II और चरण-III के न्यूनतम कार्य के कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को नये चरण-II में विलय करने के लिए इसे मौजूदा चरण-III के लिए उपबंधित अवधि में पूरा किया जाएगा। यह एनईएलपी-III और IV के अपतट ब्लॉकों के मामले में लागू होगा। तथापि तत्कालीन चरण-II की विलय की गई अवधि आरंभ होने से पहले, ठेकेदार को वर्तमान विस्तारण नीतिके अनुसार 18 महीने के विस्तारण का लाभ लेना होगा।

(ii) जिन ठेकेदारों ने पहले ही अन्वेषण चरण-II में प्रवेश कर लिया है या जिनके पास केवल भूकंपीय कार्य का कार्यक्रम है और चरण-I में कोई वेधन प्रतिबद्धता नहीं है, वे इस छूट के अंतर्गत कवर नहीं किए जाएंगे।

(iii) जिन ठेकेदारों ने इस छूट का लाभ लिया है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे नये अन्वेषण चरण-I के अंत में क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग का परित्याग करें।

(iv) यह योजना वैकल्पिक होगी और उन ठेकेदारों को उपलब्ध होगी, जो वर्तमान में चरण-I में हैं या जिन्होंने चरण-I की पूर्णता के पश्चात अपने ब्लॉकों का परित्याग नहीं किया है। ठेकेदारों को, विकल्प चुनने के लिए इस छूट की घोषणा की तारीख से 60 दिन का समय दिया जाएगा। उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे नई छूट के सभी उपबंधों पर सहमति दें।

(v) पैरा 5 में यथाउल्लिखित, एमएमएस, यूएसए द्वारा लगाई गई शर्तें लागू की जाएंगी और डीजीएच द्वारा इसका अनुपालन/सत्यापन सुनिश्चित किया जानाचाहिए।

(vi) एनईएलपी-III से पहले संविदा किए गए, एनईएलपी-पूर्व पीएससीज सहित भिन्न-भिन्न बोली चक्रों के अन्य पीएससीज, जो वर्तमान में अन्वेषण चरण-I में हैं और अपतट रिगों की कमी की इसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, भी इस छूट के लिए अनुमोदित हैं।

(vii) यदि ठेकेदार, नई चरण-I अवधि से पहले चरण-I का एमडब्ल्यूपी पूरा कर लेते हैं तो उन्हें यह अनुमति दी जाएगी कि वे या तो अगले नए चरण-II में प्रवेश करें और बाकी अवधि नये चरण-II में जोड़ी जा सकती है या पीएससी के उपबंधों के अनुसार नये चरण-II से 'सेट ऑफ' किए जानेवाले नये चरण-I की बाकी अवधि में अतिरिक्त कार्य का कार्यक्रम आरंभ करें।

(viii) ठेकेदार द्वारा इस छूट के अंतर्गत एक बार विकल्प चुन लेने पर, विस्तारण नीति की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन और नये अन्वेषण चरण-I और II में अन्वेषण चरणों के विलय की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन करने की शर्त के अधीन, वह इस छूट द्वारा विनियमित होगा। डीजीएच, ठेकेदारों द्वारा शर्तों और निबंधनों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ix) पीएससीज की अन्य शर्तें और निबंधन, अपरिवर्तित रहेंगे।

(x) इस नई छूट के लिए ठेकेदारों द्वारा विकल्प चुन लेने पर डीजीएच कार्य के कार्यक्रम की प्रगति मॉनीटर करेगा। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, हर महीने, नई छूट के अंतर्गत इन ब्लॉकों की अद्यतन स्थिति पर एक मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

(xi) ऐसे कोई अन्य परिणामी मुद्दे, जो इस छूट के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।